आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–34 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार वर्मा, प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित होकर आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पिछली सुनवाई में आयोग को अवगत कराया था कि आयोग के आदेश के आलोक में बाकि बचे शिकायतकर्ताओं को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग ने सभी बचे शिकायतकर्ताओं को बाकि बचे अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश करने का निदेश दिया था। आयोग के अभिलेख में समर्पित प्रमाण पेश किये गये हैं। इस वाद के शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द्र चन्दन का कहना है कि इस वाद में कुल–13 ऐसे शिकायतकर्ता हैं जिन्हें अब तक पिछला बकाया अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डीलर कुर्बान अंसारी से संबद्ध जितने शिकायतकर्ताओं के संदर्भ की शिकायत की गई थी। उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन 13 ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, औंरा एवं श्री रंजित कुमार, औंरा टोला धनमा डीलर के यहां सूचिबद्ध है उन्हें अब तक बकाया राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि उन 13 शिकायतकर्ताओं को बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जो माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह और श्री रंजित कुमार, औंरा पंचायत के डीलर के यहां सूचिबद्ध हैं। आयोग आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देता है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx56